प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2008–09 से 2012–13 की अवधि हेतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क.रा.बी.नि.) की निष्पादन लेखापरीक्षा का परिणाम शामिल है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेख किए गए उदाहरण वे हैं जो 2013–14 की अवधि में की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए तथा इसके साथ–साथ वे हैं जो पहले के वर्षों में पाए गए थे परंतु उन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किया जा सका; 2012–13 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहां आवश्यक है, शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

लेखापरीक्षा क.रा.बी.नि. से प्राप्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर सहयोग हेतु आभार प्रकट करती है।